



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत हत्या की घटना कारित करने के आरोपी वीरव्रत उर्फ रवि, मथन सिंह, देवव्रत उर्फ सन्नी व सतेन्द्र को बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ सश्रम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त मथन सिंह पुत्र केहर सिंह, सतेन्द्र पुत्र मथन सिंह, वीरव्रत उर्फ रवि पुत्र सतेन्द्र व देवव्रत उर्फ सन्नी निवासी गण ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष- 2014 में हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0- 343/2014 धारा 302/307/323/324/325/34/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस0सी/एस0टी0 एकट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों वीरव्रत उर्फ रवि, मथन सिंह, देवव्रत उर्फ सन्नी व सतेन्द्र को दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की बड़ी सफलता है तथा ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



baghpatpolice



Baghpat police



@baghpatpolice



प्रेस नोट
थाना एएचटीयू

दिनांक 29-11-2023

थाना एएचटीयू बागपत व प्रोबेशन विभाग अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा चलाये गये
बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन अभियान में 01 बाल श्रमिक का कराया गया
रेस्क्यू ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 29-11-2023 को
थाना एएचटीयू बागपत व प्रोबेशन
विभाग की संयुक्त टीम द्वारा “बाल
भिक्षावृत्ति व बालश्रम उन्मूलन”
अभियान चलाया गया । जिसमें
थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से



01 बाल श्रमिक का रेस्क्यू किया गया । बाल श्रमिक को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी
बागपत के समक्ष पेश किया गया । सीडब्लूसी बागपत द्वारा बाल श्रमिक के परिजनों को
भविष्य में बाल श्रम न कराने की चेतावनी देते हुए परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

रेस्क्यू करने वाली टीम-

- 1-प्रोबेशन विभाग से श्रीमति प्रीती ।
- 2-नवोदय लोक चतना मंच से श्री देवेन्द्र कुमार ।
- 3-थाना एएचटीयू बागपत टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 29.11.23

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

हरिकिशन पुत्र नत्थू निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-है0 का0 40 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना छपरौली

दिनांक 29.11.23

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता:-

शौकिन्द्र उर्फ शौकी पुत्र राजवीर निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र कुमार ।
- 2-का0 1028 मुरली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 29.11.23

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 275/23 धारा 363/376D/506 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 275/23 धारा 363/376D/506 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त राहुल को गिरफ्तारी किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना छपरौली पुलिस द्वारा दिनांक पूर्व में बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 526 मनीष कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 29.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाडी मैक्स पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 गाडी मैक्स पिकअप नं० UP-15ET-5879 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-गुलफाम पुत्र फारुख निवासी शाम नगर लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ ।

2-खालिद पुत्र रहीसू निवासी लिसाडी गेट थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ ।

3-रिजवान पुत्र चाँद मौहम्मद निवासी साबिर गेट मेरठ थाना कोतवाली मेरठ जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 गाडी मैक्स पिकअप नं० UP-15ET-5879
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 10 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत
2. है०का० 172 अनुज कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

